सोहराबुद्दीन-तुलसी फर्जी एनकाउंटर के मुख्य षडयंत्रकारी अमित शाह और तीनों आईपीएस थे - चीफ आईओ

मुंबई, लकी जैन

सोहराबुद्दीन-तुलसी एनकाउंटर दोनों केस में मुख्य अनुसंधान अधिकारी (चीफ आईओ) रहे संदीप तामगड़े ने बुधवार को मुंबई की सीबीआई स्पेशल कोर्ट में खुलासा किया कि सोहराबुद्दीन, कौसरबी और तुलसी की हत्या के मुख्य षडयंत्रकारी अमित शाह (भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष), आईपीएस डीजी बंजारा, राजकुमार पांडियन और दिनेश एमएन थे। संदीप तामगड़े ने बताया कि दोनों केस के अनुसंधान में इसके खिलाफ साक्ष्य थे, इसलिए इनके खिलाफ चार्जशीट पेश की थी।

सीबीआई के तत्कालीन एसपी संदीप तामगड़े ने सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस का पहले चीफ आईओ अमिताभ ठाकुर और विनय कुमार के बाद अग्रिम अनुसंधान और तुलसी केस का पूरा अनंसुधान किया था। बचाव पक्ष के वकील वहाव खान के पूछने पर संदीप तामगड़े ने बताया कि उन्होंने राजस्थान के गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया, मार्बल व्यवसायी विमल पाटनी, हैदराबाद के आईपीएस सुब्रमण्यम और एसआई श्रीनिवास राव से पूछताछ कर इनके खिलाफ भी चार्जशीट पेश की थी।

बचाव पक्ष के वकील के पूछने पर चीफ आईओ संदीप ने बताया कि चार्जशीट में उपयोग शब्द क्रिमिनल-पॉलिटीशियन नेक्सस में पॉलिटीशियन अमित शाह, गुलाब चंद कटारिया और क्रिमिनल सोहराबुद्दीन, तुलसी और आजम जैसे अन्य अपराधी थे। अहमदाबाद में पॉपुलर बिल्डर पर फायरिंग पॉलिटीशियन्स ने क्रिमिनल्स के जरिए करवाई थी।

बचाव पक्ष के वकील बिन्द्रे ने चीफ आईओ से प्रश्न करते हुए कहा कि आपने चार्जशीट में लिखा है कि तुलसी को मौके पर दो अज्ञात लोग एक मारूती कार में लाए थे और इसके बाद पुलिस ने उसकी गोली मार कर हत्या कर दी थी और इसे एनकाउंटर बताया था। लेकिन वे अज्ञात दो लोग और मारूती कार किसकी थी? इस पर चीफ आईओ ने बताया कि सीबीआई ने यह प ?ताल कभी नहीं की कि वे दो अज्ञात लोग कौन थे, जो तुलसी को एनकाउंटर स्पॉट पर लाए थे और वह मारूती कार किसकी थी, जिसमें तुलसी को एनकाउंटर स्पॉट पर लाया गया था।

- चीफ आईओ के बयान के दौरान कुछ ऐसे गवाहों के बयानों का जिक्र भी आया, जिनके स्टेटमेंट कोर्ट रिकॉर्ड से गायब मिले। बचाव पक्ष के वकील के पूछने पर चीफ आईओ ने कोर्ट बताया कि मैंने मामले के आरोपी अमित शाह, गुलाब चंद कटारिया और विमल पाटनी से खुद पूछताछ कर इनके बयान लिखे थे और इन बयानों पर मैंने खुद हस्ताक्षर भी किए थे। लेकिन जब बचाव पक्ष के वकील ने यह बयानों की कॉपी चाही तो पता चला कि यह कोर्ट रिकॉर्ड में नहीं हैं। जज एसजे शर्मा ने सीबीआई के सरकारी वकील बीपी राजू और सीबीआई इंस्पेक्टर विश्वास मीणा से पूछा कि ये स्टेटमेंट कहां हैं, तो विश्वास मीणा ने जवाब दिया कि स्टेटमेंट ऑफिस में हैं। इस पर बचाव पक्ष के वकील वहाव खान ने कोर्ट को एप्लीकेशन दी कि ये दस्तावेज उपलब्ध करवाए जाएं। गौरतलब है कि अमित शाह, गुलाब चंद कटारिया और विमल पाटनी तीनों ही इस केस से डिस्चार्ज हो चुके हैं, ऐसे में इनके बयान केस में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

- चीफ आईओ ने कोर्ट को बताया कि अनुसंधान में तुलसी के भांजे कुंदन प्रजापति और उसके दोस्त से संबंधित ड्रग्स मामले के अनुसंधान अधिकारी और प्रार्थी दोनों के बयान लिए थे, उन्होंने कहा कि ये चार्जशीट का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन जब चार्जशीट देखी गई तो ये स्टेटमेंट भी कोर्ट रिकॉर्ड में नहीं मिले।

- चीफ आईओ ने बताया कि आरोपी हैदराबाद के एसआई श्रीनिवास राव से संबंधित उन्होंने 19 दस्तावेज जब्त किए थे। लेकिन आज कोर्ट रिकॉर्ड चेक किया तो एक ही दस्तावेज मिला। 18 दस्तावेज गायब हैं। कोर्ट रिकॉर्ड में संबंधित दस्तावेजों की फर्द जब्ती मौजूद है। जिनमें इन सभी दस्तावेजों का हवाला दिया हुआ है, लेकिन ये सभी दस्तावेज कोर्ट रिकॉर्ड से गायब हैं। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि इन दस्तावेजों में साबित होता है कि श्रीनिवास राव 22 से 29 नवंबर 2005 के बीच वे आंध्र प्रदेश में अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे।

बचाव पक्ष के वकील ने चीफ आईओ संदीप से सोहराबुद्दीन और तुलसी एनकाउंटर से संबंधित कुछ प्रश्न किए जो बरी हो चुके आरोपियों से संबंध रखते थे, तो जज एसजे शर्मा ने यह प्रश्न पूछने से वकील को मना कर दिया। वकील ने कोर्ट से निवेदन किया कि ये सभी षडयंत्र का हिस्सा हैं और यह मेरे क्लाइंट से संबंधित है, इसके बावजूद जज एसजे शर्मा ने बरी हो चुके आरोपियों से संबंधित प्रश्न वकील को नहीं करने दिए।

- चीफ आईओ संदीप ने कहा कि सोहराबुद्दीन केस की अग्रिम जांच करते हुए मैंने गुलाब चंद कटारिया और विमल पाटनी से पूछताछ कर इनके खिलाफ एवीडेंस रिकॉर्ड कर चार्जशीट पेश की थी। बचाव पक्ष के वकील ने आईओ से पूछा कि आपने इन साक्ष्यों को खत्म किया था क्या? तो जज एसजे शर्मा ने यह प्रश्न पूछने से वकील को रोक दिया।

- चीफ आईओ ने बताया कि तुलसी को अहमदाबाद पेशी पर लाने-ले जाने पर नवंबर और दिसंबर में गठित पुलिस एस्कॉर्ट पार्टी तुलसी एनकाउंटर के षडयंत्र का हिस्सा थी। बचाव पक्ष के वकील ने पूछा कि क्या आपके पास इनके खिलाफ एवीडेंस थे? जज ने यह सवाल भी पूछने से वकील को रोक दिया।

- चीफ आईओ ने बताया कि आरोपियों के षडयंत्र को उसने कॉल डिटेल से भी साबित करने का प्रयास किया था। इस पर बचाव पक्ष के वकील ने चीफ आईओ से पूछा कि आपने तुलसी एनकाउंटर से संबंधित जो कॉल रिकॉर्ड कलेक्ट किए थे वे अलग-अलग आरोपियों से संबंधित थे? जज ने यह यह सवाल भी नहीं पूछने दिया।

- बचाव पक्ष के वकील ने चीफ आईओ से पूछा कि तुलसी केस में 9 आरोपी बरी हो चुके हैं, आपके पास इनके खिलाफ षडयंत्र साबित करने के कोई एवीडेंस नहीं थे? चीफ आईओ ने कहा कि साक्ष्य थे, आपकी बात गलत है। लेकिन जज ने चीफ आईओ को उत्तर देने और वकील को प्रश्न पूछने से रोक दिया।

- बचाव पक्ष के वकील ने पूछा कि तुलसी केस में बरी हुए 9 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे पुलिस कर्मियों के सुपीरियर अधिकारी थे? यह प्रश्न भी पूछने से जज ने वकील को रोक दिया।

- बचाव पक्ष के वकील ने चीफ आईओ से पूछा कि आपको अनुसंधान में ऐसा कोई एवीडेंस नहीं मिला था, जो यह बताता हो कि तुलसी को मारने के आदेश अधिकारियों ने दिए थे? यह प्रश्न भी नहीं पूछने दिया।

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिला था तुलसी एनकाउंटर का पत्र

चीफ आईओ संदीप ने तुलसी केस की चार्जशीट में उस पत्र का जिक्र किया हुआ है, जो सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर से पहले तुलसी के परिवार ने राजस्थान के तत्कालीन वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत को भेजा था। बचाव पक्ष ने चीफ आईओ से पूछा कि यह पत्र कहां है? गौरतलब है कि चार्जशीट में लिखा है कि सोहराबुद्दीन एनकाउंटर से पहले तुलसी के परिवार को डर था कि पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी, इसके चलते परिवार वालों ने तुलसी की सुरक्षा के लिए एक पत्र अशोक गहलोत को भेजा था। यह पत्र गहलोत ने तत्कालीन आईजीपी वीके गोदिका को भेज दिया था। उन्होंने यह पत्र तो प्राप्त किया था, लेकिन वे सेवानिवृत हो रहे थे, तो उन्होंने यह अगले आईजीपी राजीव दासोत को जांच के लिए कहते हुए सुपुर्द किया था।

सुबह 11 से रात 7.30 बजे तक चले बयान

कोर्ट में खास बात यह भी रही कि आज वकीलों के निवेदन करने के बावजूद जज ने लंच ब्रेक नहीं दिया और कहा क्रॉस पूरा करने के बाद ही सब उठेंगे। चीफ आईओ के बयान सुबह 11 बजे शुरू हो गए थे। बचाव पक्ष के वकील वहाव खान ने चीफ आईओ से क्रॉस करीब पूरा कर लिया था। दोपहर 2.30 बजे वहाव खान ने निवेदन किया कि लंच ब्रेक के नाम से ही 1/2घण्टे की मोहलत दे दीजिए।वहाव खान ने कहा कि सर हाई कोर्ट में एक मामले की पेशी है। 1/2 घण्टे की मोहलत दे दीजिए। लेकिन जज ने ब्रेक देने से मना कर दिया और कहा कि बयान आज ही पूरे करने है। वहाव खान ने 3.15 बजे क्रॉस पूरा किया तब जज ने 20 मिनट का ब्रेक दिया। इसके बाद दूसरे आरोपियों के वकीलों ने क्रॉस कर चीफ आईओ से सवाल किए। चीफ आईओ के बयान रात 7.30 बजे पूरे हुए। उसके बाद सभी कोर्ट से निकले।

बलात्कारी समाज और सरकार, क्या इनको भी फांसी होगी कभी ?

तीन हजार करोड़ का बजट लेकिन मोदी के वन स्टॉप सेंटर सिर्फ हवा में हैं

ग्राउंड जीरो से विवेक की विशेष पड़ताल

फरीदाबाद : भारतीय राजनीति के बलात्कार अध्यायों को खोजने के लिए गूगल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समाचार चैनल खोल लें तो मिल जायेगी 'स्वच्छ' भारत की सबसे अधिक गन्दगी। जनता की मोमबत्तियां बुझते बुझते मनमोहन सरकार ने रस्म अदायगी के तौर पर निर्भया फण्ड की घोषणा की थी और रकम थी 1000 करोड़ रुपये। इसी घोषणा के साथ कांग्रेसी सरकार देश की करोड़ों निर्भयाओं को सड़कों, गलियों और घरों में लुटता-पिटता छोड़ चुनाव में लग गई। और फिर आये अच्छे दिन के वादे के साथ नरेन्द्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने हर लूट के जख्म पर खोखले नारों का नमक भी छिड़कना शुरू कर दिया।

याद कीजिये 16 दिसम्बर 2012 को दिल्ली में एक लड़की का चलती बस में जघन्यतम बलात्कार होता है और उसी के साथ शुरू हुयी बहस में इस शर्मनाक अपराध में समूचे भारतीय समाज की भागीदारी का व्यापक पर्दाफाश भी होना शुरू हुआ। लड़की को नाम दिया गया "निर्भया"। शायद ही कोई होगा जो इस नाम से वाकिफ न हुआ हो। निर्भया की गूँज ने विदेशों तक में बैठे लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। बहरहाल निर्भया के देहांत के साथ पैदा हुई उसके नाम पर की जाने वाली राजनीति।

समाज एक ओर स्वयं लड़की को ही अस्मत लुटने का जिम्मेदार ठहरा देता है जबकि, दरअसल, इसी की आड़ में अपनी अस्मत बचाने की कोशिश करता है। सच ये है कि हमारा समाज अब तक नंगा घूम रहा है। सरकार, कोई भी सरकार, 'बेटी बचाओ.....' जैसी घोषणाओं से इतिश्री कर इस मुद्दे पर श्रेय लेने में मस्त है।

वन स्टॉप सेंटर है कहां?

वन स्टॉप सेंटर का होहल्ला ऐसा कि बस अब आया सतयुग या तब आया। सरकारी दावे के अनुसार निर्भया फण्ड से देश भर में 170 वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) सुचारु रूप से चल रहे हैं। फण्ड के 1000 करोड़ से बचकर 3000 करोड़ हो जाने से हुआ क्या है? सिर्फ फण्ड ही बढ़ा या जमीन पर भी कुछ बदला है? इसकी शक्ल की पड़ताल करने मजदूर मोर्चा पहुंचा फरीदाबाद के ओएससी को तलाशने, दिए पते बीके अस्पताल की पहली मंजिल पर।

क्योंकि यह पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा पोषित योजना है जिसे 'सखी' नाम दिया गया है तो हमारी टीम सखी के बोर्ड को खोजती रही। ऐसा कोई बोर्ड अस्पताल में न दिखायी देने पर हमने अस्पताल स्टाफ से पूछताछ की। ज्यादातर को सखी या निर्भया फण्ड के बारे में जानकारी नहीं थी, न नाम सुना था। अंत में एक वरिष्ठ नर्स ने "सुकून" नामक बोर्ड को ही वन स्टॉप सेंटर का बोर्ड बताया। नर्स ने बताया कि ओएससी पहले यहाँ चलता था पर अब करीब 45 दिन से वो शिफ्ट हो कर ओल्ड डीसी ऑफिस, सेक्टर 15 चला गया है।

खोज-बीन में सामने आया कि "सुकून" हरियाणा राज्य के बीके अस्पताल की स्कीम है जो एकदम उसी तर्ज पर है जिसपर केंद्र सरकार ने "सखी" कार्यक्रम चलाया है। क्योंकि ये दोनों कार्यक्रम एक सामान ही हैं तो प्रशासन ने एक ही स्थान पर इनके होने के सूरतेहाल आपत्ति जतायी और परिणामस्वरूप "सखी" प्रोग्राम यहाँ से शिफ्ट हो गया।

हैरत की बात कि ओल्ड डीसी ऑफिस के अहाते में भी वन स्टॉप सेंटर का किसी को पुख्ता तौर पर पता नहीं था। यह भी मालूम नहीं था कि इस प्रकार की कोई योजना या सेंटर इस परिसर से संचालित है। थोड़ी मशक्कत के उपरान्त कोने में खड़ी जर्जर इमारत की तरफ इशारा करते हुए एक कर्मी ने कहा शायद वो हो सकता है। सेंटर को हर पीड़ित और जरूरतमंद के लिए सुलभ और सुगम होना चाहिए, जबकि सरकारी कोशिशें ऐसी जान पड़ती है कि कोई वहां तक पहुँच ही न पाए। चारों तरफ से बंदरों से घिरा ये अहाता आपको जंगल में होने का हल्का अहसास जरूर करा देगा, जहां कर्मचारी भी इनसे बच- बच कर जाते नजर आये।

अन्दर पहुँच कर सेंटर की डीपीओ 50 वर्षीय कमलेश भाटिया से पता चला कि जब सेंटर बीके अस्पताल में चलता था तब कई केस उन तक आ जाया करते थे। क्योंकि पुलिस ही अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में पीड़ित को लाती थी, लिहाजा अधिकतर मामलों में तो वे सीधे पहले माले पर हमारे पास उसे ले आते थे और हम अस्पताल के ही मेडिकल स्टाफ एवं काउन्स्लर इत्यादि से भी मदद ले लिया करते थे।

यह पूछने पर कि इस नए ठिकाने पर कितने केस आये और किस तरह के मामले अधिक आते हैं। कमलेश भाटिया ने बताया कि जबसे नयी जगह आये हैं कोई खास संख्या "सखी" के तहत तो नहीं आयी और जो मामले आये भी हैं वो आईसीपीएस (इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम) के तहत ही डील किये गए। आईसीपीएस के तहत क्यों? कमलेश से पता चला कि फिलहाल ओएससी में कोई भी स्टाफ नहीं है जबकि 14 स्टाफ सैंक्शन है। पहले 13 लोग थे भी, परन्तु जिस एजेंसी को इसकी जिम्मेदारी दी गई उसका शायद कार्यकाल पूरा हो गया या क्या हुआ, साफ-साफ नहीं पता। कमलेश भाटिया के तीन युवा सहयोगी सोनिया, गरिमा और तारीनी भी आईसीपीएस के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत हैं।

25 वर्षीय सोनिया ने बताया कि ओएससी के बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं जानती क्योंकि उन्हें आईसीपीएस के तहत काम करना है। क्योंकि अब ओएससी भी इसी स्थान पर शिफ्ट हो गया है तो जो भी महिला केस हमारे पास आता है हम अपने स्तर पर उसे डील करते हैं और पूरा प्रयास रहता है की पीड़ित को उचित सुविधा मुहैया करा सकें। गरिमा ने भी दोहराया कि वन स्टॉप सेण्टर फिलहाल चल ही नहीं रहा, क्योंकि जब स्टाफ ही नहीं है तो कैसे माना जाए कि ये सेंटर अस्तित्व में है। परन्तु हमारा पूरा प्रयास रहता है कि सेण्टर की सुविधाएँ हमारे माध्यम से ही सही पर जरूरतमंदों को मिल सकें।

फरीदाबाद जैसे बड़े जिले में आप लोग दो-दो महत्वपूर्ण योजनाओं को कैसे संभाल पाते हैं, क्या गाड़ी और अन्य सम्बंधित सुविधाएँ सरकार की तरफ से मिली हैं। तारिणी ने बताया कि गाड़ी नहीं मिली है पर कभी जरूरत होती है तो हम अपने निजी वाहन का उपयोग करते हैं और कभी कभी पुलिस से रिक्वेस्ट कर लेते हैं। यदि वाहन नहीं हो तो हम आइसीपीसी के तहत 1000 कलोमीटर प्रति माह गाड़ी किराए पर ले सकते हैं।

कमियां ही कमियां

वन स्टॉप सेण्टर के तौर पर क्या क्या कमियाँ नजर आती हैं तथा क्या और होना चाहिए? कमलेश भाटिया के अनुसार, पहले तो आधारभूत संरचना का होना बहुत जरूरी है जो कि आजतक नहीं बन सका है। उन्होंने यही सवाल ओएससी की पूर्व सेण्टर एडमिनिसट्रेटर मीनू से पूछने की सलाह दी। मीनू का फोन नंबर भी दिया।

मीनू से पता चला कि उनके कार्यकाल के दौरान ओएससी सेण्टर बीके अस्पताल के भरोसे अपने आंकड़े भर जुटा लेता था। यानी जो भी पीड़ित महिला अस्पताल लायी गई, सेण्टर के भी रिकॉर्ड में दर्ज हो गयी। इस तरह काम दिखाना आसान हो जाता था। लगता था कि ओएससी बेहतर रूप से काम कर रहा है। असलियत अब देखी जा सकती है जब सेण्टर का स्थान बीके से बदल दिया गया है। अब शायद ही कोई केस ओएससी के तहत आता हो।

मीनू का कार्यकाल सिर्फ एक वर्ष का रहा। उन्होंने बताया कि पहले तो सेण्टर की अपनी कोई बिल्डिंग ही नहीं है जबकि निर्भया फण्ड के तहत एक बिल्डिंग का प्रावधान है जिसपर लगभग 38 लाख प्रति सेण्टर का खर्चा भी तय है। हालाँकि 20000 किलोमीटर प्रति माह किराये की गाड़ी लेने का प्रावधान है। परंतु यदि आपात स्थिति है तो क्या पहले टैक्सी खोजी जाए? वन स्टॉप का मतलब यह तो नहीं कि रखो कहीं, इलाज कहीं, और सुनवायी कहीं हो, जबकि प्रावधान तो कहता है कि सब एक छत के नीचे ही मिलना चाहिए। मीनू के अनुसार पुराने स्टाफ को एक साल के उपरान्त निकाला जा चुका है और नए की भर्ती हुई ही नहीं। क्या सरकार नया स्टाफ नहीं ले सकती?

अव्वल तो सिर्फ एक साल के लिए स्टाफ रखना कहां की समझदारी है। 6 माह तो काम सीखने और उसमें ढलने में लग जाते हैं और जॉब सिक्यूरिटी न होने पर बहुत सी लड़कियां इसमें आना नहीं चाहतीं। यानी मौजूदा ढाँचे में स्कीम का फेल होना लगभग तय है। पांच दिन का स्थायी शेल्टर स्कीम के तहत दिया जाना है पर वो भी एसपी और डीएम के आदेश से। यदि जरूरत ज्यादा दिन की है तो पांच दिन बाद पीड़ित को करनाल के नारी निकेतन में भेजते हैं जो पूरे हरियाणा में एकमात्र है। सभी की काउंसलिंग की जानी होती है लेकिन फॉलोअप करने के लिए कोई स्टाफ नहीं होता।

हवाई शोर शराबा

अनुभव साझा करते हुए मीनू ने बताया कि एक 18 वर्षीय लड़की का बाप ही उसका बलात्कार करता था और जब वह वन स्टॉप सेंटर लायी गई तो उसने पिता पर कोई कार्यवाही नहीं की। कारण था आर्थिक रूप से उसकी पिता पर निर्भरता। ऐसे में ज्यादातर लडकियां वापस उसी घर में वापस जाने को मजबूर हैं जहाँ पर उनका शोषण होता है। फिलहाल, ओएससी के लिए नीलम चौक फरीदाबाद के पास एक जगह पर बिल्डिंग बन रही है पर वहाँ शाम को इतना सन्नाटा रहता है कि पीड़ित ही नहीं, महिलाकर्मी भी असुरक्षित महसूस करेंगी। इस सूरतेहाल मुमकिन है कि कुछ और स्टाफ स्वयं ही काम छोड़ जायें।

भारी शोर शराबे से घोषित की जाने वाली सरकारी स्कीमों की सच्चाई एकदम शांत किसी कोने में छुप कर बैठी है। जिस वन स्टॉप सेण्टर के चर्चे और योगदान समाज में दिखने चाहिए वो सेण्टर खुद ही नहीं दिख रहा कहीं। मीनू के अनुसार शायद भिवानी और करनाल वाले सेण्टर कुछ ठीक चल रहे हैं। पर ये भी जांच का विषय है कि क्या सच में ऐसा है? सिर्फ राज्य को ध्यान में रख कर बनायीं जाने वाली लगभग सभी सरकारी योजनायें इसीलिए असफल हैं क्योंकि उसे पीड़ित के नजरिए से न तो बनाया गया और न ही लागू किया जा रहा है।

योजना के नाम पर सिर्फ फण्ड बना कर मनमोहन सरकार चलती बनी और अच्छे दिनों वाली मोदी सरकार ने रही सही कसर नारों की गूँज में पीड़ित की आवाज दबा कर पूरी कर दी। 'बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ' के नारे की मृगतृष्णा के वशीभूत हुए मोदी जी यदि वाकई में सड़क पर चाय बेच कर आये होते तो असल भारत की तस्वीर मे निर्भया का चेहरा इतना बदसूरत न बनने देते। एक निर्भया का बलात्कार उन लोगों ने किया जो इसी समाज के रोग से पैदा हुई मवाद थे। पर इस देश में हर रोज लाखों निर्भयाओं का बलात्कार उनको बचाने का वादा करने वाली सरकार ही कर रही है। समाज भी वास्तविकता से आँखें मूँद कर पड़ा है।

मजबूरी का वन स्टॉप सेंटर

मनमोहन सरकार के 1000 अब 3000 करोड़ हो चुके हैं। इसे खर्च तक करना भारी पड़ा भारत सरकार के लिए। अंत में तय हुआ कि केंद्र सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सबसे पहले सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को वनस्टॉप सेंटर बनाने में मदद करेगा। वन स्टॉप सेंटर में पीड़िता को एक ही छत के नीचे इमरजेंसी रिस्पांस के तहत पीसीआर सुविधा, एम्बुलेंस सर्विस, मेडिकल सपोर्ट, पुलिस शिकायत दर्ज के लिए महिला पुलिसकर्मी, मनोवैज्ञानिक सहायता इत्यादि उपलब्ध कराया जाना शामिल है। काउंसेलर और कानूनी सहायता के लिए वकील चुनने की भी सुविधा दी जाएगी। लीगल पैनल का दारोमदार होगा कि चार्जशीट फाइल होने की तारीख के दो माह के भीतर पीड़िता के केस का ट्रायल शुरू किया जाए। जिसके लिए सभी तैयारी बिना शर्त तय समय में पूरी होनी चाहिए। शेल्टर के तौर पर 5 दिनों का आसरा भी मुहैया कराया जायेगा। यदि लम्बे समय तक का शेल्टर देना पड़े तो डीसी के आदेश से एनजीओ इत्यादि की मदद भी ली जा सकती है। केस की सुनवायी के लिए या पुलिस पूछताछ के लिए पीड़िता को विडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हर केस पर नजर रखने के लिए उसे एक यूनीक आईडी भी दिया जाएगा।